

श्री सुजीत कुमार, आई०ए०एस० मुख्य विकास अधिकारी फिरोजाबाद द्वारा दिनांक 10-06-2015 को जनेश्वर मिश्र योजना अन्तर्गत चयनित ग्राम नगला ढाक सलेमपुर एवं नगला सूरज में विकास कार्यो के निरीक्षण/स्थलीय सत्यापन की टिप्पणी :-

जनेश्वर मिश्र ग्राम नगला ढाक सलेमपुर एवं नगला सूरज विकास खण्ड टूण्डला में मण्डी परिषद द्वारा कराये गये सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 10-06-2015 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मण्डी परिषद के उप निदेशक (निर्माण) श्री एस०के० सिंह, सहायक अभियन्ता श्री रवीन्द्र सिंह एवं डीआरडीए के अवर अभियन्ता श्री रामगोपाल भी उपस्थित थे। ग्रामवार आख्या निम्नवत् है :-

ग्राम नगला ढाक सलेमपुर :-

आगणन के अनुसार इस कार्य की लागत रू० 39.99 लाख हैं जिसके अन्तर्गत 1092 मीटर लम्बाई में सी०सी० मार्ग एवं 1862 मीटर लम्बाई में नाली निर्माण किये जाने का प्राविधान किया गया है। ग्राम के प्रारम्भ में कंचन सिंह के घर के सामने सी०सी० रोड टूट गयी है तथा शिलान्यास पट्टिका वाली गली में सी०सी० मार्ग की सरफेश खराब पायी गयी। पौहप सिंह के मकान से आगे नाली नहीं बनायी गयी है बल्कि दोनो ओर सी०सी० रोड में ही किनारों पर ढाल देकर जल निकासी की व्यवस्था की गयी है। फलस्वरूप रोड पर गन्दगी हो रही है। ओमकार के मकान के सामने गली में सी०सी० रोड के एक ओर जो खेतों की ओर है, रिटेनिंग वॉल नहीं बनायी गयी है। फलस्वरूप साइड से मिट्टी के कटान के कारण कुछ जगहों पर सी०सी० हैन्ग (Hang) कर रही है। निहाल सिंह के घर के पास सी०सी० की मोटाई नापी गयी जो 9.00 सेमी० पायी गयी। इस गली में आधी लम्बाई में एक ओर नाली बनायी गयी है, तथा आधी लम्बाई में बिल्कुल नाली नहीं बनायी गयी है, जबकि नाली की आवश्यकता है। ओमप्रकाश के घर के पास सी०सी० धँस गयी है। यहाँ सी०सी० मार्ग की चौड़ाई 4.80 मीटर पायी गयी। सी०सी० रोड में जगह-जगह बनाये गये सभी एक्स्पेंशन (Expension) ज्वाइंट ठीक से नहीं बनाये गये हैं। लगभग सभी ज्वाइंट पर सी०सी० रोड टूटी है। सी०सी० मार्ग पर कई जगहों पर क्रेक उत्पन्न हो गये हैं। समग्र रूप से सी०सी० कार्य की गुणवत्ता सन्तोषजनक नहीं पायी गयी।

उप निदेशक निर्माण को निर्देश दिए गए कि जिन स्थानों पर सी०सी० टूट गयी है या टूट रही है अथवा क्रेक उत्पन्न हो गये हैं, वहाँ नियमित पैच में सी०सी० काट कर पुनः डाली जायें। ओमकार के मकान के सामने सी०सी० मार्ग के एक ओर रिटेनिंग वाल बनायी जाय ताकि सी०सी० रोड सुरक्षित रह सके। जहाँ आवश्यक हो वहाँ नाली भी बनायी जाय।

ग्राम नगला सूरज :-

इस ग्राम में सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण की स्वीकृत लागत रू० 40.00 लाख है। आगणन के अनुसार 1271 मीटर लम्बाई में सी०सी० रोड एवं 638 मीटर लम्बाई में नाली निर्माण का प्राविधान है। मौके पर कुछ स्थानों पर छोटे-छोटे पैच में सी०सी० रोड उखड़ रही है। तथा कई स्थानों पर क्रेक उत्पन्न हो गये हैं। वेदप्रकाश शर्मा के मकान के पास मोड पर नाली में कास

बनाया गया है, जो खुला छोड़ दिया गया है। फलस्वरूप वाहनों के आवागमन से टूट कर चौड़ा हो रहा है तथा आवागमन में असुविधा हो रही है। इस स्थान पर सी०सी० रोड की चौड़ाई नापी गयी जो 3.48 मीटर पायी गयी। वेदप्रकाश शर्मा के मकान से उत्तर दिशा में सी०सी० रोड के किनारों नाली नहीं बनवायी गयी है। बल्कि कच्ची नाली से जल निकासी हो रही है। फलस्वरूप गन्दगी हो रही है। जय प्रकाश के घर के सामने सी०सी० रोड में काफी क्रेक उत्पन्न हो गये हैं। इस गली में नाली काफी पतली बनवायी गयी है जो जल निकासी हेतु पर्याप्त नहीं है। कई स्थानों पर नाली नहीं बनवायी गयी है। केवल सी०सी० रोड के किनारों पर ढाल देकर जल निकासी की गयी है। कई स्थानों पर सी०सी० रोड की फिनीशिग ठीक नहीं है। इसी ग्राम में लगभग 4 वर्ष पूर्व ग्रामीण अभियन्त्र विभाग द्वारा कुछ गलियों में सी०सी० कार्य कराया गया है। इस सी०सी० रोड की वर्तमान स्थिति मण्डी परिषद द्वारा बनाये गये सी०सी० रोड से बेहतर है।


उप निदेशक निर्माण को निर्देशित किया गया, कि कास पर स्लेब डाल कर अथवा लोहे की जाली लगा कर ढक दिया जाये। जिन स्थानों पर सी०सी० उखड़ रही है अथवा क्रेक उत्पन्न हो गये हैं, वहाँ सी०सी० को काट कर पुनः डाला जाये तथा वेद प्रकाश के घर से उत्तर दिशा में जल निकासी हेतु कच्ची नाली के स्थान पर पक्की नाली बनवायी जाये। समग्र रूप से इस कार्य की गुणवत्ता में भी सुधार अपेक्षित है।

(सुजीत कुमार)
मुख्य विकास अधिकारी
फिरोजाबाद।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी फिरोजाबाद।

पत्रांक 62 / निरीक्षण / 2015-16 दिनांक 15-06-15

- प्रतिलिपि :-
- 1-आयुक्त महोदय आगरा मण्डल आगरा की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
 - 2-जिलाधिकारी महोदय, फिरोजाबाद की सेवा में उनके आदेश सं० 1352 दिनांक 5-02-2015 के क्रम में अवलोकनार्थ प्रेषित।
 - 3-उप जिलाधिकारी टूण्डला को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 - 4-उप निदेशक, मण्डी परिषद फिरोजाबाद को परिपालनार्थ।
 - 5-जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी फिरोजाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।


मुख्य विकास अधिकारी
फिरोजाबाद।